आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · School Education Department, Government of Madhya Pradesh

सुदामा शिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं)

जिला या विकासखंड मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले कक्षा 11 और 12 के निर्धन सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।

क्या मिल सकता है

छात्र को Rs 5,000 और छात्रा को Rs 5,250 मिलते हैं। पैसा सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जाता है।

किसके लिए है

जिला या विकासखंड मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले कक्षा 11 और 12 के निर्धन सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनके परिवार की सालाना आय Rs 1 लाख तक है।

मुख्य शर्तें

- परिवार की सालाना आय Rs 1 लाख तक होनी चाहिए। प्रमाण के रूप में पालक का स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र माना जाता है।
- विद्यार्थी ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो, अब कक्षा 11 या 12 में पढ़ता हो और छात्रावास में रहता हो।
- विद्यार्थी पिछले साल की कक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो।
- बीपीएल परिवार के लिए बीपीएल कार्ड की प्रति या पालक का आय संबंधी घोषणा पत्र चाहिए।

दस्तावेज़

- सालाना आय के बारे में पालक का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र
- बीपीएल कार्ड की प्रति, या पालक का आय संबंधी घोषणा पत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपने दस्तावेज स्कूल में दें। शिक्षक विद्यार्थी की प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज करते हैं।
2. पात्रता के अनुसार आवेदन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आगे बढ़ता है।
3. छात्रवृत्ति सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=422
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-sudama-shishyavritti-class-11-12/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।